

सूचना का अधिकार—2005



आबकारी विभाग
वर्ष 2010—11

के अनुच्छेद 4(1)(बी) के अन्तर्गत हस्तपुस्तिका

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. पृष्ठ भूमि

यह हस्त पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 4 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुरूप जारी की जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से कानूनी रूप ले चुका है तथा 12 अक्टूबर 2005 से इसके समस्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नागरिक निर्धारित शुल्क सहित आवेदन कर आबकारी विभाग के किसी भी कार्यालय में उनके द्वारा संधारित सूचना यथा अभिलेख, दस्तावेज, मीमों, ई-मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन कागजात नमूने किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक्स सांख्यिकी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। प्रमाणित प्रतिलिपियां या सारांश ले सकते हैं।

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने विभाग/संगठन के उद्देश्य, कार्यकलाप योजनाओं, क्रियाविधि, कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करावें। इसी परिप्रेक्ष्य में आबकारी विभाग के उद्देश्य, कार्यकलाप एवं कार्यप्रणाली को स्पष्ट करते हुए यह हस्तपुस्तिका प्रकाशित की जा रही है तथा यह आबकारी विभाग की वेबसाइट www.rajexcise.org पर भी उपलब्ध है।

2. उद्देश्य

इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य आबकारी विभाग के संगठनात्मक ढांचे एवं क्रियाकलापों के सम्बन्ध में संकलित जानकारी, नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना है। विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकें।

3. हस्त पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों के लिए उपयोगी है

हस्तपुस्तिका प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

4. हस्त पुस्तिका का प्रारूप

1. परिभाषा
2. सम्पर्क व्यक्ति

3. सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क
4. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य
5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
6. कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।
7. नीति निर्धारण कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श के लिए अपनायी गई व्यवस्था का विवरण।
8. लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण।
9. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां
10. निर्णय की प्रक्रिया
11. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
12. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उनके निर्धारण की पद्धति
13. प्रत्येक अभिकरण को प्राप्त आवंटित बजट
14. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक नियम
15. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं।
16. विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
17. अन्य उपयोगी जानकारी।

5. परिभाषाएं

सरकार :-

सरकार से राजस्थान की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

विभागाध्यक्ष :-

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार आदेश के द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

कार्यालयाध्यक्ष:-

ऐसे राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन उक्त रूप से घोषित किया गया है।

सूचना:-

सूचना से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन द्वारा चाही गई वांछित सूचना से है। आबकारी विभाग के किसी भी कार्यालय में उनके द्वारा संधारित सूचना यथा अभिलेख, दस्तावेज, मीमों, ई-मेल, विचार, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लोग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन कागजात नमूने किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण किया जा सकता है। प्रमाणित प्रतिलिपियां या सारांश भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्राधिकृत अधिकारी-

गृह (गृह-6) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

लोक प्राधिकरण:-

गृह (गृह-6) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण।

लोक सूचना अधिकारी:-

गृह (गृह-6) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

सहायक लोक सूचना अधिकारी:-

गृह (गृह-6) विभाग, जयपुर के आदेश संख्या प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

राज्य सूचना आयोग:-

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठित सूचना आयोग।

सम्पर्क व्यक्ति:-

लोक प्राधिकरण आबकारी विभाग के उदयपुर स्थित मुख्यालय के ब्लॉक-बी के कक्ष संख्या 107 में सूचना के अधिकार अनुभाग अवस्थित है। इसमें पदस्थापित कार्मिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। दूरभाष से सम्पर्क करने हेतु मुख्यालय के ई. पी.बी.एक्स नम्बर 0294-2527086 पर एक्सटेंशन 125 मांगा जा सकता है। इन्टरनेट से सम्पर्क हेतु इस अनुभाग का ई-मेल पता www.rti.rajexcise.org है।

6. हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क सूचना प्राप्त करने की विधि:

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार भारत का नागरिक सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। संस्था, समूह या पदाधिकारी की हैसियत से इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के लिये आवेदन नहीं किया जा सकता।

भारत का नागरिक, लिखित रूप से अनुरोध करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी, हिन्दी अथवा स्थानीय राजकीय भाषा में संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र में निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

- प्रार्थी का नाम, पूर्ण डाक पता (मय टेलिफोन नम्बर)
- चाही गई सूचनाओं का स्पष्ट विवरण
- चाही गई सूचना का समय या समयावधि
- संबंधित लोक सूचना अधिकारी का पदनाम

आवेदक को, राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार, अपने प्रार्थना पत्र के साथ राशि रूपये 10/- (दस रूपये मात्र) का आवेदन शुल्क प्रस्तुत करना होगा जो नकद/भारतीय पोस्टल आर्डर/मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स द्वारा देय है। अधिनियम की धार 7(5) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के चिन्हित परिवारों को सूचना प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा।

7. सूचना देने की फीस:-

धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेश मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रसारित की जावेगी:-

- (क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रूपये।
- (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत
- (ग) सैम्पल या मॉडल के वास्तविक लागत कीमत
- (घ) कम्प्यूटर पर अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं और उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए पाँच रूपये की फीस।

धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेश मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रसारित की जावेगी:-

- (क) डिस्क या फ्लोपी में दी गई सूचना के लिए प्रत्येक डिस्क या फ्लोपी पचास रूपये
 - (ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रूपये।
-

अध्याय-2

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

1. लोक प्राधिकरण आबकारी विभाग के उद्देश्य :-

- मादक पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, एवं विक्रय की प्रक्रिया पर राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण।
- घातक एवं मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियन्त्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ- साथ समुचित राजस्व अर्जित करना है।
- राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्य सम्पादित करवा कर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयम नीति का क्रियान्वयन।

2. लोक प्राधिकरण आबकारी विभाग का संक्षिप्त इतिहास और इसका गठन:-

राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को विभक्त कर आबकारी विभाग को दिनांक 01.07.1964 से स्वतन्त्र रूप से अस्तित्व में लाया गया। तब से अब तक विभाग एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में कार्यरत है तथा राज्य सरकार द्वारा अर्जित किये जाने वाले राजस्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है।

लोक प्राधिकरण की विभिन्न स्तरों (शासन, मुख्यालयों, क्षेत्र, जिला, आदि) पर संगठनात्मक ढांचा:-

राज्य सरकार के स्तर पर :-

1. शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Excise Commissioner, Rajasthan							
A.C. , E.P.F. Raj., Udaipur	A.C. (Estt), E.P.F. Raj., Udaipur	A.C. (Adm), Raj., Udaipur	A.C.(Policy) Raj., Udaipur	A.C. Zone	Financial Advisor	Joint Legal Remembers	Chemical Examiner
	D.C. E.P.F.	Asst. Programmer	D.C. Excise, Raj, Udaipur	DEO	Sr. Acctt. Officer	A.L.R	Assit. C.E.
	E.O., E.P.F.	Stastical Assistant		AEO	Acctt. Officer	H.L.A. Jaipur/Jodhpur	
	A.E.O. /Dy. S.P. E.P.F.			C.I.	A.A.O.	DEO (Procecuton)	
	P.O. E.P.F.			Jr. Acctt.			
	Sepoy						

विभागीय कार्यकलापो के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण छः अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :-

1. अजमेर जोन :- अजमेर, भीलवाडा, नागौर एवं टोंक।
2. जयपुर जोन:- जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर व झुन्झुनू।
3. जोधपुर जोन:- बाडमेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही व जालोर।
4. बीकानेर जोन:- चुरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर व हनुमानगढ।
5. कोटा जोन :- कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड, बून्दी।
6. उदयपुर जोन :- उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, राजसमन्द, चित्तौडगढ व प्रतापगढ।

अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन



उदयपुर	जयपुर	जोधपुर	कोटा	बीकानेर	अजमेर
↓	↓	↓	↓	↓	↓

जिला आबकारी अधिकारी					
उदयपुर	अलवर	बाडमेर	बारां	बीकानेर	अजमेर
राजसमन्द	भरतपुर	जैसलमेर	बून्दी	चुरू	भीलवाडा
डूंगरपुर	दौसा	जालोर	करौली	हनुमानगढ	टोंक
चित्तौडगढ	धौलपुर	जोधपुर	झालावाड	श्रीगंगानगर	नागौर
बांसवाडा	जयपुर शहर	पाली	कोटा		
प्रतापगढ	जयपुर ग्रामीण	सिरोही	सवाई माधोपुर		
	झुन्झुनुं				
	सीकर				

3. आबकारी विभाग के कुल स्वीकृत पद एवं नवीन वेतनमान :-

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान संख्या		स्वीकृत पद
		पै बैंड	ग्रेड पै	
1.	आबकारी आयुक्त आई.ए.एस.	(24) 37400-67000	10000	01
आबकारी सामान्य शाखा (राज्य सेवा) :-				
1.	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) R.A.S	(22)37400-67000	8700	01
2.	वित्तीय सलाहकार	(22)37400-67000	8700	01
3.	संयुक्त विधि परामर्शी	(21)15600-39100	8200	01
4.	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन, R.A.S.	(20)15600-39100	7600	06
5.	उपायुक्त, आबकारी, मुख्यालय	(17)15600-39100	6600	01
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	(17)15600-39100	6600	01
7.	जिला आबकारी अधिकारी आर.ए.एस	(17)15600-39100	6600	08
	वरिष्ठ वेतनमान	(17)15600-39100	6600	02
	कनिष्ठ वेतनमान	(16)15600-39100	6000	27
8.	सहायक विधि परामर्शी	(16)15600-39100	6000	01
9.	रसायनिक परीक्षक	(16)15600-39100	6000	01
10.	सहायक रसायनिक परीक्षक	(15)15600-39100	5400	02
11.	लेखाधिकारी	(15)15600-39100	5400	01
12.	सहायक आबकारी अधिकारी	(13)9300-34800	4200	49
13.	सहायक लेखाधिकारी	(13)9300-34800	4200	09
अधीनस्थ सेवा :-				
1.	आबकारी निरीक्षक प्रथम श्रेणी	(12)9300-34800	3600	48
2.	आबकारी निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी	(11)9300-34800	3200	84
3.	रसायनिक सहायक	(11)9300-34800	3200	04
4.	मुख्य विधि सहायक	(12)9300-34800	3600	02
5.	लेखाकार	(12)9300-34800	3600	35

6.	कनिष्ठ लेखाकार	(11)9300-34800	3200	26
7.	सांख्यिकीय सहायक	(11)9300-34800	3200	01
8.	सहायक प्रोग्रामर	(11)9300-34800	3200	01
9.	सूचना सहायक	(9)5200-20200	2400	01
10.	प्रयोगशाला सहायक	(9)5200-20200	2400	02
11.	इलेक्ट्रिशियन	(6)5200-20200	1900	01
मन्त्रालयिक सेवा				
1.	निजी सचिव	(16)15600-39100	6000	01
2.	वरिष्ठ लिपिक	(13) 9300-34800	4200	01
3.	निजी सहायक	(13)9300-34800	3600	03
4.	आशुलिपिक	(11)9300-34800	3200	12
5.	कार्यालय अधीक्षक	(12)9300-34800	3600	01
6.	कार्यालय सहायक	(11)9300-34800	3200	44
7.	वरिष्ठ लिपिक	(9)5200-20200	2400	147
8.	कनिष्ठ लिपिक	(6)5200-20200	1900	293
9.	वाहन चालक(आबकारी शाखा)	(6)5200-20200	1900	29
चतुर्थ श्रेणी सेवा				
1.	आबकारी गार्ड / जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(6)4750-7440 (2)4750-7440 (1)4750-7440	1650 1400 1300	472

आबकारी निरोधक दल शाखा

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान संख्या		स्वीकृत पद
		पै बैंड	ग्रेड पै	
राज्य सेवा :-				
1.	अतिरिक्त आयुक्त, आ. निरो. दल	(20)15600-39100	7600	01
2.	उपायुक्त, आबकारी नि०दल	(17)15600-39100	6600	01
3.	आबकारी अधिकारी, नि०दल	(16)15600-39100	6000	08
4.	सहायक आबकारी अधिकारी, नि०दल	(13)9300-34800	4200	15
अधीनस्थ सेवा :-				
1.	प्रहराधिकारी, प्रथम श्रेणी	(11)9300-34800	3200	40
2.	प्रहराधिकारी, द्वितीय श्रेणी	(8)5200-20200	2100	35
3.	जमादार, प्रथम श्रेणी	(7)5200-20200	2000	16
4.	जमादार, द्वितीय श्रेणी	(6)5200-20200	1900	78
5.	आर्मर	(6)5200-20200	1900	01
6.	वाहन चालक, निरोधक दल	(6)5200-20200	1900	34
7.	सिपाही	(4)5200-20200	1800	658
चतुर्थ श्रेणी सेवा :-				
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(1)4750-7440	1300	12
2.	लांगरी	(1)4750-7440	1300	17

राजस्थान आबकारी निरोधक दल शाखा (प्रतिनियुक्ति) :-				
1.	अतिरिक्त आयुक्त, नि. दल	(24) 37400-67000	10000	01

	आबकारी विभाग, उदयपुर आई.पी. एस.			
2.	उप पुलिस अधीक्षक	(15)15600—39100	5400	19
3.	लेखाधिकारी	(15)15600—39100	5400	01
4.	मुख्य विधि सहायक	(12)9300—34800	3600	131
5.	पुलिस निरीक्षक	(13)9300—34800	4200	
6.	सहायक उप निरीक्षक	(9)5200—20200	2400	165
7.	हैड कानिस्टेबल	(7)5200—20200	2000	212
8.	कानिस्टेबल	(6)5200—20200	1900	1840

मुख्यालय :-

आबकारी विभाग का मुख्यालय 2 आबकारी भवन, गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर में स्थित है।

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय:- (कुल 6)

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन अजमेर।
2. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जोधपुर।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन उदयपुर।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन कोटा।
5. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन बीकानेर।
6. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन जयपुर।

आबकारी विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय :- (कुल 37)

1. जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर
2. जिला आबकारी अधिकारी, राजसमन्द
3. जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा
4. जिला आबकारी अधिकारी, डूंगरपुर
5. जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ
6. जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ
7. जिला आबकारी अधिकारी, कोटा
8. जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी
9. जिला आबकारी अधिकारी, बारां
10. जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर
11. जिला आबकारी अधिकारी, करौली
12. जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड
13. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर
14. जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर
15. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर
16. जिला आबकारी अधिकारी, पाली
17. जिला आबकारी अधिकारी, सिरोही

18. जिला आबकारी अधिकारी, जालोर
19. जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन जोधपुर
20. जिला आबकारी अधिकारी, अलवर
21. जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर
22. जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर
23. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर नगर
24. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर ग्रामीण
25. जिला आबकारी अधिकारी, दौसा
26. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू
27. जिला आबकारी अधिकारी, सीकर
28. जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन जयपुर
29. जिला आबकारी अधिकारी, बीकानेर
30. जिला आबकारी अधिकारी, चुरू
31. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ
32. जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर
33. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर
34. जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाडा
35. जिला आबकारी अधिकारी, नागौर
36. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
37. जिला आबकारी अधिकारी, आश्वनशाला, उदयपुर

कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय :-

राज्य सरकार के आदेशानुसार आबकारी विभाग के कार्यालयों के खुलने का समय प्रातः 09.30 बजे एवं बन्द होने का समय सांय 6.00 बजे है।

अध्याय-3

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	शक्तियों का विवरण	वि. वि.
1	आबकारी आयुक्त	राजस्थान सेवा नियमों के नियम 171 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 279 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आबकारी आयुक्त को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अंतर्गत बने नियम एवं राजस्थान स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, (NDPS Act) 1985 तथा उसके नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है।	
2	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	इन्हें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 4 के तहत कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया हुआ है। मुख्यालय पर सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण का मुख्य दायित्व इनका है।	

आबकारी आयुक्त :-

आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग का विभागाध्यक्ष है। आबकारी आयुक्त को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 171 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 279 के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। आबकारी आयुक्त को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अंतर्गत बने नियम एवं राजस्थान स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, (NDPS Act) 1985 तथा उसके नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है।

आयुक्त का मुख्य दायित्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आबकारी नीति का क्रियान्वयन करना है। मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण के साथ साथ राजस्व संग्रहण का मुख्य दायित्व भी आबकारी आयुक्त का है। विभागाध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुख्य कर्तव्य एवं किये जाने वाले कार्य:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, नि. दल, आबकारी विभाग, उदयपुर
1. आबकारी निरोधात्मक कार्यवाही का प्रभावी संचालन।
2. आबकारी निरोधात्मक गतिविधियों का पर्यवेक्षण।
3. विशेष धारों का संचालन करना एवं अवैधानिक गतिविधियों के क्षेत्रों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना।
4. शराब दुखान्तिका की रोकथाम संबंधी समस्त कार्यवाही।
5. अवैध शराब बनाए जाने वाले कारखानों के विरुद्ध योजनाबद्ध कार्यवाही।
6. अवैध शराब की तस्करी एवं इसके वितरण के नेटवर्क में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही।
7. राज्य में आबकारी निरोधक दल, पुलिस द्वारा की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही एवं समन्वित अभियान की मोनेटरिंग संबंधी कार्य।
8. स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर शराब तस्करों एवं अवैध शराब निकालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।
9. राज्य के सीमावर्ती जिलों से अवैध शराब की आवक को रोकने बाबत् प्रभावी कार्यवाही।
10. नकली होलोग्राम, लेबल, पी.पी. सील्स आदि प्रयोग में लेने के विरुद्ध कार्यवाही।
11. राज्य में एवं राज्य से होकर गुजरने वाले विकृत प्रासव के परिवहन पर निगरानी।
12. टैंकरों से प्रासव का अवैधानिक रूप से ढाबों आदि पर उतारे जाने के विरुद्ध कार्यवाही।
13. राज्य के पडोसी राज्य की पुलिस से समन्वय स्थापित कर शराब तस्करी की प्रभावी रोकथाम।
14. राज्य के प्रवर्तन अधिकारियों की मासिक संभागीय बैठकों का आयोजन।
15. निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।
16. कमजोर निरोधात्मक कार्यवाही के कारण मदिरा के उठाव पर पड रहे प्रभाव की जिलेवार/थानेवार समीक्षा एवं सुधारात्मक उपाय।
17. निरोधक दल द्वारा दर्ज प्रकरणों में चल रहे अनुसंधान की प्रभावी समीक्षा/विशेषकर पुराने दर्ज प्रकरणों में की जा रही कार्यवाही बाबत् समीक्षा।
18. निरोधात्मक कार्यवाही से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की समीक्षा।
19. आबकारी अभियोगों में विभाग एवं पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों, धारों में जप्त वाहनों/मदिरा आदि कार्यवाही की नियमि सूचना का संकलन।
20. उपायुक्त, निरोधक दल द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही संबंधी सांख्यिकी सूचना संकलन संबंधी कार्य की समीक्षा।
21. विभाग की मुखबिर प्रोत्साहन/सोर्स फण्ड योजना का प्रभावी क्रियान्वन।
22. निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन आवण्टन संबंधी कार्य।
23. निरोधक दल नियन्त्रण कक्ष का कार्य।
24. मालखानों का निस्तारण।
25. निरोधक दल के उप निदेशक/आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी/सहायक निदेशक/ प्रहाराधिकारी/जमादार/सिपाही/वाहन चालकों के आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करना।

2. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (नीति) :-

1. आबकारी नीति संबंधी कार्य ।
2. आबकारी अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन बाबत अपेक्षित कार्यवाही ।
3. आबकारी बन्दोबस्त संबंधी कार्य ।
4. मुख्यालय से जारी होने वाले अनुज्ञापत्रों यथा निर्मा इकाई अनुज्ञापत्र, रिटेल ऑन अनुज्ञापत्र इत्यादि को जारी करवाना ।
5. आबकारी वस्तुओं के निर्माण एवं वितरण का नियन्त्रण ।
6. आबकारी वस्तुओं का आयात-निर्यात व अन्य समस्त कार्य ।
7. आबकारी बन्दोबस्त संबंधी शिकायते ।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय व राज्य सरकार द्वारा चाही जाने वाली बन्दोबस्त एवं आबकारी नीति संबंधी सूचनाएं प्रेषित करना ।
9. अन्य राज्यों की आबकारी नीति का तुलनात्मक विश्लेषण ।

3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) :-

1. संस्थापन अ (सम्पूर्ण राज्य में पदस्थापित अधिकारियों के पदस्थापन, स्थानान्तरण, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता आदि संस्थापन) संबंधित समस्त कार्य ।
2. संस्थापन ब (पेंशन, मकान किराया भत्ता, वाहन नकारा कार्यवाही, राज्य से बाहर की यात्रा स्वीकृति, कालातीत दावों की स्वीकृति आदि)
3. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं परिवाद ।
4. सामान्य प्रशासन अनुभाग
5. भण्डार अनुभाग ।
6. कम्प्युटर शाखा की मोनेटरिंग ।
7. सूचना के अधिकार संबंधी कार्य ।
8. आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य ।
9. आबकारी विभागों में विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त वाहनों/मदिरा आदि के निस्तारण की समीक्षा ।
10. विधान सभा समन्वयन संबंधी कार्य ।
11. आबकारी, जोन उदयपुर संबंधी कार्य ।

4. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, निरोधक दल (संस्थापन) :-

1. आबकारी निरोधक दल के अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित कार्य ।
2. निरोधक दल कर्मिकों के पेंशन, मकान किराया भत्ता, वाहन नकारा कार्यवाही, राज्य से बाहर की यात्रा की स्वीकृति
3. निरोधक दल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं परिवाद ।
4. भण्डार संबंधी कार्य ।

5. उपायुक्त आबकारी निरोधक दल :-

अतिरिक्त आयुक्त आबकारी निरोधक दल से संबंधी समस्त कार्यों में सहयोग करना एवं इस हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार करना कार्यालय कार्य का सम्पादन करना ।

6. उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय, उदयपुर :-

1. खजाना।
2. आवक जावक अनुभाग, प्रधान कार्यालय।
3. आर.एस.बी.सी.एल. एवं आर.एस.जी.एस.एम. से संबंधित सामान्य कार्य।
4. मुख्यालय के अराजपत्रित कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रकरण।
5. सांख्यिकी, विज्ञापन, रिकार्ड एवं लाईब्रेरी संबंधित कार्य।
6. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (प्रशासन) एवं अतिरिक्त आयुक्त (नीति) को आबकारी नीति संबंधी सहयोग एवं विधिक एवं कर्मचारी कल्याण कार्यों में सहयोग।
7. प्रयोगशाला का पूर्ण नियन्त्रण।

7. वित्तीय सलाहाकार :-

1. डोडा पोस्ट एवं भांग के बन्दोबस्त का कार्य।
2. राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की मोनेटरिंग।
3. बकाया राजस्व की वसूली संबंधी कार्य।
4. विभागीय बजट संबंधी कार्य।
5. अंकेक्षण संबंधी कार्य।

8. संयुक्त विधि परामर्शी :-

1. विभिन्न न्यायालयों में दर्ज समस्त प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, जवाबदावों का अनुमोदन एवं प्रस्तुतीकरण, न्यायालय निर्णयों की पालना एवं लम्बित प्रकरणों की मोनेटरिंग।
2. विधिक बिन्दुओं पर राय देने का कार्य।
3. अधिनियम एवं नियमों में संशोधन के प्रारूप तैयार करने का कार्य।
4. अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का प्रारूपण।
5. मुख्यालय स्तर पर चलने वाले न्यायिक प्रकरणों यथा संयोज्य योग्य प्रकरण, इत्यादि की पत्रावलियों का संधारण कर आयुक्त महोदय को प्रस्तुतीकरण।
6. आबकारी अभियोगों में जप्त भारी वाहनों की पत्रावलियों में आयुक्त महोदय को राय देना।
7. सर्विस रिट एवं वाद से संबंधित कार्य।
8. अभियोग शाखा का कार्य।
9. अन्य समस्त विधिक कार्य।
- 10.

9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन

आबकारी विभाग को प्रशासनिक दृष्टि से 6 सम्भागों (यथा उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर जोन) में बांटा गया है। प्रत्येक संभाग का प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, संबंधित जोन होता है।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों तथा सहायक आबकारी अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आबकारी कार्यालयों एवं संबंधित संस्थाओं यथा आश्वनशाला, ब्रेवरीज, कूपीभरण (बोटलिंग प्लान्ट) संयंत्र, मदिरालय, फार्मसी, मदिरा दुकानात आदि के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी होता है। इनके द्वारा आबकारी आयुक्त के द्वारा प्रत्यायोजित कार्य भी किये जाते हैं।

10. रसायनिक परीक्षक

आबकारी विभाग में आबकारी अभियोगों में जब्त किये गये नशीले पदार्थों के नमूनों का रसायनिक परीक्षण कर रसायनिक जांच रिपोर्ट तैयार करना इनका मुख्य कर्तव्य है। यह पद उदयपुर मुख्यालय पर सृजित है।

11. सहायक विधि परामर्शी :-

विधि शाखा की समस्त पत्रावलियों में कार्यवाही करते हुए संयुक्त विधि परामर्शी के निर्देशन में कार्य करना तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों का निष्पादन करना।

12. सहायक रसायनिक परीक्षक :-

आबकारी अभियोगों एवं आश्वनशालाओं से प्राप्त नमूनों की रसायनिक जांच एवं विश्लेषण का समस्त कार्य।

13. वरिष्ठ लेखाधिकारी

वित्तीय सलाहकार के समस्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उनके निर्देशन में कार्य करना इनका मुख्य कर्तव्य है।

14. लेखाधिकारी :-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निर्देशानुसार कार्य कर उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोगी है।

15. सहायक लेखाधिकारी

वित्तीय सलाहकार एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी निर्देशन में उनके द्वारा आवण्टित शाखा प्रभारी के रूप में कार्य करना इनका कर्तव्य है।

16. जिला आबकारी अधिकारी

जिला आबकारी अधिकारी संबंधित जिलों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। यह आबकारी अधिनियम, 1950 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इनके उत्तरदायित्वों में निम्न कार्य कलाप शामिल है :-

1. आबकारी बन्दोबस्त का सफल क्रियान्वयन,
2. आबकारी शुल्क एवं अन्य प्राधिकृत शुल्क का संग्रहण करना
3. आबकारी पदार्थों के विनियमन संबंधी कार्य
4. अपने जिले में आबकारी निरोधक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना ।
5. अन्य प्रशासनिक कार्य

17. सहायक आबकारी अधिकारी

जिला आबकारी अधिकारी के कर्तव्यों में उनकी सहायता करना इनका प्रमुख कर्तव्य होता है ।

18. आबकारी निरीक्षक

आबकारी निरीक्षक राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी है तथा इनके निम्न कर्तव्य है :-

1. आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त से संबंधित समस्त सामान्य कार्य करते है। यथा दुकानों का पर्यवेक्षण के प्रभारी के रूप में तथा अपराधों को दर्ज करने, अनुसंधान करने, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने, प्रस्तुत प्रकरण के परिणाम पर निगरानी रखने तथा राज्य सरकार के हितों की रक्षा करना।
2. आबकारी निरीक्षक जिनका पदस्थापन आश्वन शालाओं (Distilleries) गोदाम, फार्मसीज में है वे संबंधित निर्धारित नियमों के तहत अपने कार्यों की पालना करते है तथा दुकानों का निरीक्षण भी करते है।

19. मंत्रालयिक कर्मचारी

मंत्रालयिक कर्मचारियों के अंतर्गत निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, आदि कर्मचारी सम्मिलित है। ये पत्रावलियों एवं संबंधित पंजिकाओं तथा विवरणिकाओं तथा समस्त प्रकार के निर्धारित प्रारूपों एवं शाखाओं के कार्य का संधारण करते है। मासिक मानचित्र आदि नियमित रूप से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करते है। अपने कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, अभिलेखों एवं पंजिकाओं का संधारण करते है।

अध्याय-4

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्र. सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की पक़या	धारक / नियन्त्रणाधीन
1	प्रतिवेदन	प्रगति विवरण / प्रतिवेदन / प्रशासनिक प्रतिवेदन	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	संबंधित कार्यालय के मुख्यालय
2	परिपत्र	आबकारी नीति एवं अन्य विषयों से संबंधित	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	मुख्यालय के संबंधित अनुभाग
3	कार्यालय आदेश	आबकारी विभाग से संबंधित	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	संबंधित कार्यालय में
4	लाग बूक	संविदा पर लिये गये वाहनों की लाग बूक	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	संबंधित कार्यालय में
5	संविदा	कम्प्युटर, सफाई एवं रखरखाव	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	संबंधित कार्यालय में
6	पत्रावली	संबंधित अनुभागों में	अधिनियम में वर्णित प्रक्रियानुसार	संबंधित कार्यालय के संबंधित अनुभागों में

अध्याय-5

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 15.06.2005 से कानून का रूप लेकर 12 अक्टूबर, 2005 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया जा चुका है जिसमें सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

राज्य सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 के द्वारा सचिवालय तथा विभाग के मुख्यालय के स्तर पर निम्नांकित पदनाम पर पदस्थापित अधिकारियों को अपील प्राधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है:-

सचिवालय स्तर पर :-

क्र. सं.	पदनाम	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑथोरिटी
1	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राज्य लोक सूचना अधिकारी

मुख्यालय स्तर पर :-

क्र. सं.	पदनाम	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑथोरिटी
1	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
2	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी

विभाग के अन्य लोक सूचना अधिकारी:-

राज्य सरकार के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 3 (25) गृह-6/2006 जयपुर दिनांक 03.05.2007 की पालना में मुख्यालय से परिपत्र (01/2010-11) क्रमांक प. 19 (5) सा.प्र./आब/2005/341 दिनांक 07.05.2010 जारी कर, उनके पदनाम के आगे अंकित कार्यक्षेत्र हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है :-

क्र. सं.	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	अतिरिक्त आयुक्त, निरोधक दल, आबकारी विभाग, उदयपुर	राज्य स्तरीय सूचनाओं के लिये
2	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय	राज्य स्तरीय सूचनाओं के लिये
3	अतिरिक्त आयुक्त (नीति), मुख्यालय	राज्य स्तरीय सूचनाओं के लिये
4	वित्तीय सलाहाकार, मुख्यालय	राज्य स्तरीय सूचनाओं के लिये
5	संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय	राज्य स्तरीय सूचनाओं के लिये
7	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन	संबंधित संभागीय स्तर की सूचनाओं के लिये
8	जिला आबकारी अधिकारी,	संबंधित जिला स्तरीय सूचनाओं के लिये

आबकारी विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त लोक/सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में नियमानुसार आवेदन शुल्क सहित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? (आबकारी मैनुअल और राज्यकार्य के निर्धारित नियमोंका उपयोग किया जाता है।)

अध्याय-6
अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका
आबकारी विभाग के पदस्थापित अधिकारियों की सूची

No.	Name of Officer / Ministers	Designation	Mobile No. (RSBCL / Dep)	STD Code	Office	Fax No.	E-mail Id
1	Sh. Ajitabh Sharma	Excise Commissioner Udaipur Camp Jaipur	- -	294 141	2524911 2740829	2526801 2740829	mailto:ec@rajexcise.org
2	Sh. Rahul Prakash	Addl. Commissioner EPF	9414040601	0294	2427444	2427444	ed@rajexcise.org
3.	Sh. Harsh Vadan Bhatnagar	Addl. Commissioner (Excise)	9414040605	294	2523124	2523124	mailto:acaudaipur@rajexcise.org
4.	Sh. S. L. Bohra	Addl. Commissioner (Administration)	9414040660	0294	2527074	2527074	mailto:acudaipur@rajexcise.org
5	Sh. Shankar Lal Choudhary	FA	9414166934	294	2528397	2528397	mailto:faudaipur%20@rajexcise.org
6	MS. Vandana Jha	Jr. L.R.	9413985255	294	2414837	2414837	-
7	Sh. Shrawan Sahni	Addl. Comm. , Jaipur	9829069446	141	2741087	2740829	mailto:acjaipur@rajexcise.org
8	Sh. Bhuraram	Addl. Comm., Kota	9414040650	744	2364577	2470055	mailto:ackota@rajexcise.org
9	Sh. Sayeed Ahmed	Addl. Comm., Ajmer	9414040620	145	2420008	2423516	mailto:acajmer@rajexcise.org
10	Sh. Arjun Ram Choudhary	Addl. Comm., Bikaner	9414040630	151	2530017	2530017	mailto:acbikaner@rajexcise.org
11	Sh. Kamaluddin Khilji	Addl. Comm., Jodhpur	9414040640	291	2650394	2650396	mailto:acjodhpur@rajexcise.org
12	VACANT	DEO (H.Q.)	-	294	2525154	2526801	-
13	Sh. Rishiraj Singh	D. C. EPF Udaipur	9414436747	294	2524308	2528397	-
14	Sh. Sudheer Joshi	Addl. S.P.Udaipur	9829250727	294	2427444	2427444	-
15	Sh.	Sr. Accounts Officer	-	294	2527086	2526801	-
16	Sh.	Accounts Officer	-	294	2527086	-	-
17		A.L.R.	-	294	2527086	2526801	-
18	Sh. K. K. Khandelwal	Asstt. Programmer	-	0294	2525920	0294- 2527074	computercell@rajexcise.org
19	Sh. Rahul Jain	Asstt. Chem. Exam.	-	294	2527086	2526801	-
20	Sh. Antar Singh	D.E.O. Ajmer	9413340071	145	2423516	2423516	deoajmer@rajexcise.org
21	Sh. Narayan Singh Bisht	Informatics Asstt.	-	0294	2525920	0294- 2527074	computercell@rajexcise.org
22	Sh. B.S.Sharma	DEO, Alwar	9829018611	144	2732400	2732400	dealwar@rajexcise.org
23	Sh. Ganga Ram Meena	DEO, Banswara	8890400138	2962	250560	250560	mailto:deobanswara@rajexcise.org

24	Sh. Koja Ram	DEO, Barmer	9413340074	2982	220427	220427	deobarmer@rajexcise.org
25	Sh. Devi Shankar Sharma	DEO, Bharatpur	9413340075	5644	225477	225477	deobharatpur@rajexcise.org
26	Sh. Durga Lal Gupta	DEO, Bhilwara	9414044194	1482	232718	232718	deobhilwara@rajexcise.org
27	Sh. D.P. Meena	DEO, Bikaner	9413340078	151	2200884	2530017	deobikaner@rajexcise.org
28	Sh. K.K.Sharma	DEO, Bundi	9414372908	747	2457249	2444958	deobundi@rajexcise.org
29	Sh. K.P. Diwana	DEO, Baran	9413340081	7453	231526	231526	deobaran@rajexcise.org
30	Sh. Nanu Ram Khatik	DEO, Chittorgarh	9414466415	1472	241587	241587	deochittorgarh@rajexcise.org
31	Sh. J.P.Ranga	DEO, Churu	9413340083	1562	250307	250275	deochuru@rajexcise.org
32	Sh B.S.Gupta	DEO, Ganganagar	9413340084	154	2470182	2471045	deoganganagar@rajexcise.org
33	Sh. Arun Prakash Sharma	DEO, Hanumangarh	9982237137	1552	222088	223095	deohanumangarh@rajexcise.org
34	Sh. Dayal Puri Goswami	DEO, Tonk	9414040027	1432	246717	248282	deotonk@rajexcise.org
35	Sh. S.N. Tiwari	DEO, Jaipur City	9413340087	141	2743196	2740829	deojaipur@rajexcise.org
36	Sh. P.S. Meena	DEO, Dausa	9413340090	1427	221180	230990	mailto:deodausa@rajexcise.org
37	Sh. Mani Ram	D.E.O. (Pros.) Jaipur	9414304833	141	2740706	2740829	mailto:deojaipurp@rajexcise.org
38	Sh. B.L.Malakar	DEO Jaipur Rural	9571704219	141	2744580	2740829	mailto:deojaipur@rajexcise.org
39	Sh.K.R.Parmer	DEO, Jalore	9413340091	2973	222543	222207	mailto:deojalore@rajexcise.org
40	Sh. Ram Dayal Meena	DEO, Jhalawar	9413340092	7432	232651	232651	deojhalawar@rajexcise.org
40	Sh. B.L. Guleria	DEO, Jhunjhunu	9413340093	1592	232904	232904	mailto:deojhunjhunu@rajexcise.org
42	Sh.	DEO (Pros.), Jodhpur	9414090362	291	2650394	2650396	mailto:deojodhpur@rajexcise.org
43	Moh. Yaseen Pathan	DEO, Jodhpur	9413340094	291	2555324	2650396	mailto:deojodhpur@rajexcise.org
44	Sh. Sanwermal Verma	DEO, Kota	9414189333	744	2365623	5122744	deokota@rajexcise.org
45	Sh. Ganasha Ram	DEO, Nagaur	9413340096	1582	240019	242344	deonagaur@rajexcise.org
46	Sh. Ratan Singh	DEO, Pali	9413344038	2932	256326	257806	mailto:deopali@rajexcise.org
47	Sh. RadhaMohan Gupta	DEO, Sawai Madhopur	9413340098	7462	222008	222008	mailto:deosawaimadhopur@rajexcise.org
48	Sh. C.S. Vijay	DEO, Karoli	9413345018	7464	220271	220287	mailto:deokaroli@rajexcise.org
49	Sh. S.K. Sharma	DEO, Sikar	9351200698	1572	248650	517762	mailto:deosikar@rajexcise.org
50	Sh. Kesra Ram	DEO, Sirohi	9413342073	2972	220709	220709	deosirohi@rajexcise.org
51	Sh. B.S. Sandu	DEO, Udaipur	9414301216	294	2527360	2527360	deoudaipur@rajexcise.org
52	Sh. C.S. Jhala	DEO, Distillery. Udaipur	9414173437	294	2494342	2492334	-
53	Sh. Jitendra Nath Purohit	DEO, Rajsamand	9413342074	2952	221650	223428	mailto:deorajsamand@rajexcise.org
54	Sh. O.P. Yadav	DEO, Dholpur	9414790107	5642	220763	221271	mailto:deodholpur@rajexcise.org
55	Sh. Mukesh Bhargav	DEO, Jaisalmer	9414237723	2992	251608	255207	mailto:deojaisalmer@rajexcise.org

56	Sh. B.S.Sandhu	DEO, Dungarpur	9414301216	2964	230009	234990	mailto:deodungarpur@rajexcise.org
57	Sh M.L.Sharma AEO	AEO, Distillery Jaipur	9414321220	141	2233849	2233453	-
58	Sh. NanuRam Khatik (Addl.Charge)	DEO Pratapgarh	9414466415	01478	222330	223135	deopratapgarh

अध्याय-7

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आबकारी विभाग के लोक सूचना
(अपीलीय) प्राधिकारी, लोक एवं सहायक सूचना अधिकारियों की सूची

S. No.	Name of Officer	Designation	Designation under RTI Act, 2005	Head Quarter	Mobile No. (RSBCL)	STD Code	Office	Fax No.
1	Sh. C.K. Mathew	Principal Secretary, Finance	Public Appellate Authority	secratraite, Jaipur	-	141	2227664	2227741
2	Sh. Ajitabh Sharma	Excise Commissioner Udaipur	PIO	Udaipur	-	294	2524911	2526801
		Camp Jaipur		Jaipur	-	141	2740829	2740829
3	Sh. Rahul Prakash	Addl. Commissioner EPF	APIO	Udaipur	9414040601	294	2427444	2427444
4	Sh. Harsha Vadan Bhatnagar	Addl. Commissioner (Policy)	APIO	Udaipur	9414040605	294	2523124	2523124
5	Sh. S. L. Bohra	Addl. Commissioner (Adm)	APIO	Udaipur	9414040660	294	2527074	2527074
6	Sh. Shankar Lal Choudhary	Financial Advisor	APIO	Udaipur	9414166934	294	2528397	2528397
7	Ms. Vandana Jha	D.L.R.	APIO	Udaipur	9413985255	294	2414837	2414837
8	Sh. Shrawan Sahni	Addl. Comm., Jaipur	APIO	Zone Jaipur	9829069446	141	2741087	2740829
9	Sh. Bhuraram	Addl. Comm., Kota	APIO	Zone Kota	9414040650	744	2364577	2470055
10	Sh. Sayeed Ahmed	Addl. Comm., Ajmer	APIO	Zone Ajmer	9414040620	145	2420008	2423516
11	Sh. Arjun Ram Choudhary	Addl. Comm., Bikaner	APIO	Zone Bikaner	9414040630	151	2530017	2530017
12	Sh. Kamaluddin Khilji	Addl. Comm., Jodhpur	APIO	Zone Jodhpur	9414040640	291	2650394	2650396
13	Sh. Antar Singh	D.E.O. Ajmer	APIO	District Ajmer	9413340071	145	2423516	2423516
14	Sh. B.S. Sharma	DEO, Alwar	APIO	District Alwar	9829018611	144	2732400	2732400
15	Sh. Ganga Ram Meena	DEO, Banswara	APIO	District Banswara	8890400138	2962	250560	250560
16	Sh. Koja Ram	DEO, Barmer	APIO	District Barmer	9413340074	2982	220427	220427
17	Sh. Devi Shankar Sharma	DEO, Bharatpur	APIO	District Bharatpur	9413340075	5644	225477	225477
18	Sh. Durga Lal Gupta	DEO, Bhilwara	APIO	District, Bhilwara	9414044194	1482	232718	232718
19	Sh. Durga Prasad Meena	DEO, Bikaner	APIO	District Bikaner	9413340078	151	2200884	2530017
20	Sh. K.K.Sharma	DEO, Bundi	APIO	District Bundi	9414372908	747	2457249	2444958
21	Sh. K.P. Diwana	DEO, Baran	APIO	District Baran	9413340081	7453	231526	231526
22	Sh. Nanu Ram Khatik	DEO, Chittorgarh	APIO	District Chittorgarh	9414466415	1472	241587	241587
23	Sh. Jagdish Prasad Ranga	DEO, Churu	APIO	District, Churu	9413340083	1562	250307	250275
24	Sh Bhagwan Sahay Gupta	DEO, Ganganagar	APIO	District Ganganagar	9413340084	154	2470182	2471045
25	Sh. Arun Prakash Sharma	DEO, Hanumangarh	APIO	District Hanumangarh	9982237137	1552	222088	223095
26	Sh. Dayal Puri Goswami	DEO, Tonk	APIO	District Tonk	9414040027	1432	246717	248282
27	Sh. S.K. Tiwari	DEO, Jaipur City	APIO	District Jaipur City	9413340087	141	2743196	2740829

28	Sh. P.S. Meena	DEO, Dausa	APIO	District Dausa	9413340090	1427	221180	230990
29	Sh. B.L.Malakkar	DEO Jaipur Rural	APIO	District Jaipur Rural	9571704219	141	2744580	2740829
30	Sh. Kheema Ram Parmer	DEO, Jalore	APIO	District Jalore	9413340091	2973	222543	222207
31	Sh. Ram Dayal Meena	DEO, Jhalawar	APIO	District Jhalawar	9413340092	7432	232651	232651
32	Sh. B.L. Guleria	DEO, Jhunjhunu	APIO	District Jhunjunu	9413340093	1592	232904	232904
33	Sh. Mohd. Yaseen Pathan	DEO, Jodhpur	APIO	District Jodhpur	9413340094	291	2555324	2650396
34	Sh. Sanwarmal Verma	DEO, Kota	APIO	District Kota	9414189333	744	2365623	5122744
35	Sh. Ganesha Ram	DEO, Nagaur	APIO	District Nagaur	9413340096	1582	240019	242344
36	Sh. Ratan Singh Rathod	DEO, Pali	APIO	District Pali	9413344038	2932	256326	257806
37	Sh. RadhaMohan Gupta	DEO, Sawai Madhopur	APIO	District Sawai Madhopur	9413340098	7462	222008	222008
38	Sh. C.S. Vijay	DEO, Karoli	APIO	District Karoli	9413345018	7464	220271	220287
39	Sh. S.K. Sharma	DEO, Sikar	APIO	District Sikar	9351200698	1572	248650	517762
40	Sh. Kesra Ram	DEO, Sirohi	APIO	District Sirohi	9413342073	2972	220709	220709
41	Sh. Bhanwar Singh sandu	DEO, Udaipur	APIO	District Udaipur	9414301216	294	2527360	2527360
42	Sh. Jitendra Nath Purohit	DEO, Rajsamand	APIO	District, Rajsamand	9413342074	2952	221650	223428
43	Sh. O.P. Yadav	DEO, Dholpur	APIO	District, Dholpur	9414790107	5642	220763	221271
44	Sh. Mukesh Bhargav (A.E.O.)	DEO, Jaisalmer	APIO	District Jaisalmer	9414237723	2992	251608	255207
45	Sh. B.S.Sandhu (Addl. Charge)	DEO, Dungarpur	APIO	District Dungarpur	9414301216	2964	230009	234990
46	Sh. NanuRam Khatik (A.Charge)	DEO Pratapgarh	APIO	District Pratapgarh	9414466415	1478	222330	223135

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 19 (5) सा.प्र/आब/2005/341

दिनांक 07.05.2010

परिपत्र क्रमांक 01/2010-11

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के नियमानुसार निस्तारण किये जाने हेतु, प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 3 (25) गृह-6/2006 दिनांक 03.05.2007 के बिन्दु संख्या 1.2 में किये गये मनोनयन की पालना में, लोक प्राधिकरण आबकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारियों के मनोनयन के सम्बन्ध में अब तक किये गये समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए, विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के पदनामों को, इनके कार्यक्षेत्र एवं अधीनस्थ संधारित की जाने वाली सूचना के आधार पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी मनोनित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	सूचना अधिकारी	कार्यक्षेत्र एवं अधीनस्थ अनुभाग
1	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	लोक सूचना अधिकारी	विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिये
2	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, आबकारी विभाग, उदयपुर	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य एवं अपने अधीनस्थ अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के लिये।
3	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन),	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य एवं अपने अधीनस्थ अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के लिये
4	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी (नीति),	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य एवं अपने अधीनस्थ अनुभागों से सूचनाओं के लिये
5	वित्तीय सलाहाकार,	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य एवं अपने अधीनस्थ अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के लिये
6	संयुक्त विधि परामर्शी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य एवं अपने अधीनस्थ अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के लिये
7	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन	सहायक लोक सूचना अधिकारी	संबंधित संभाग एवं अधीनस्थ जिलों से संबंधित सूचनाओं के लिये
8	जिला आबकारी अधिकारी,	सहायक लोक सूचना अधिकारी	संबंधित जिलों एवं अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों से संबंधित सूचनाओं के लिये

साथ ही आबकारी विभाग में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. मुख्यालय में सूचना का अधिकार अनुभाग को गठन किया जाता है जिसमें एक वरिष्ठ लिपिक का पदस्थापन किया जायेगा। इस अनुभाग के प्रभारी, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा इन्हीं के माध्यम से प्रत्येक आवेदन की पृथक पृथक पत्रावलियां खोली जाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जायेंगी तथा उपरोक्त मनोनीत किये गये समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा इस अनुभाग द्वारा प्रदत्त निर्देश की पालना की जायेगी।
2. विभाग में जोन व जिला स्तर पर मनोनीत सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा भी आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे तथा इन पर अपने कार्यालय की निम्नांकित मोहर में लगाकर, अधिनियम में प्रावधित प्रारूप की पंजिकाओं में इसका इन्द्राज कर मुख्यालय के सूचना के अधिकार अनुभाग में 5 दिन के भीतर अग्रेषित किये जायेंगे तथा आवेदक को इसकी सूचना भी प्रेषित की जायेगी।

सहायक लोक सूचना अधिकारी

(अधिकारी का पदनाम)

प्रार्थना पत्र क्रमांक -----

प्राप्त होने की दिनांक -----

3. उपरोक्त मनोनीत किये गये समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी अपने अनुभाग/कार्यालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाओं के प्रत्येक पृष्ठ पर निम्नांकित मोहर लगाई जाना सुनिश्चित करेंगे :-

सूचना के अधिकार अधिनियम
के अधीन प्रदत्त सूचना
लोक प्राधिकरण – आबकारी विभाग
लोक सूचना अधिकारी – आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

(अधिकारी का पदनाम नाम) एवं
पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी
हस्ताक्षर -----

4. लोक प्राधिकरण आबकारी विभाग के लिये, प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं नीति निर्धारण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर राज्य सरकार द्वारा लोक सूचना अपील की प्राधिकारी मनोनीत किया गया है, अतः विभाग के विरुद्ध अपील इनके कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी।

5. विभाग के समस्त मनोनित सहायक लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का तथा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जाना सुनिश्चित करे।
6. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। विभाग के समस्त कार्यालय अध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यालय के सूचना पट्टों पर सात दिवस में अनिवार्य रूप से संशोधन करा लिया जाय।

ह0 / -
(अजिताभ शर्मा)
आबकारी आयुक्त,
एवं पदेन लोक सूचना अधिकारी

क्रमांक प. 19 (5) सा.प्र/आब/2005/ 342

दिनांक 07.05.2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, वित्त एवं नीति निर्धारण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी, निरोधक दल, आबकारी विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)/(नीति), वित्तीय सलाहाकार, संयुक्त विधि परामर्शी, एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय।
4. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी, जोन समस्त।।
5. जिला आबकारी अधिकारी एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी, समस्त।
6. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
7. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय को भेज लेख है कि इस परिपत्र की एक एक प्रति मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारियों को भिजावे।
8. गार्ड पत्रावली (सूचना का अधिकार अनुभाग) मुख्यालय।

ह0 / -
अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
एवं पदेन सहायक लोक सूचना अधिकारी,